न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 47 / 2021 **दायरा दिनांक : 27.01.2021**

उनवान

गुरूदर्शन सिंह पुत्र श्री सूरज सिंह, आयु 52 वर्ष (विकलांग) जाति सिक्ख जाट, निवासी ग्राम छतरगंज, तहसील किशनगंज, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– नैना देवी बेवा श्री महेन्द्र सिंह, आयु 77 वर्ष, जाति सिक्ख जाट, निवासी ग्राम छतरगंज, तहसील किशनगंज, जिला बारां

2– मामचन्द उर्फ भागचंद पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, आयु 37 वर्ष, जाति सिक्ख जाट, निवासी ग्राम छतरगंज, तहसील किशनगंज, जिला बारां

3– प्रेमचन्द्र पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, आयु 35 वर्ष, जाति सिक्ख जाट, निवासी ग्राम छतरगंज, तहसील किशनगंज, जिला बारां

4– राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सूरज सिंह, आयु 64 वर्ष, जाति सिक्ख जाट, निवासी ग्राम छतरगंज, तहसील किशनगंज, जिला बारां

5– अजयपाल पुत्र श्री सूरज सिंह, आयु 60 वर्ष, जाति सिक्ख जाट, निवासी ग्राम छतरगंज, तहसील किशनगंज, जिला बारां

6– रविन्द्र कौर पुत्री श्री सूरज सिंह पत्नी श्री करम सिंह, आयु वर्ष, जाति सिक्ख जाट, निवासी बादीपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

7– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, किशनगंज, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उपस्थित – श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 09.11.2022**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या – 62/2006 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2008 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम छत्रगंज की भूमि खसरा नम्बर 125 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकार्ड में केशर बाई बेवा सुमेर सिंह, जाति जाट, सा0 देह के नाम से बतौर खातेदार कृषक अंकित है। केशर बाई का स्वर्गवास होने के बाद उक्त आराजी का इन्तकाल नं. 892 दिनांक 04.09.2003 से मृतक केशर बाई के स्थान पर प्रतिवादी रेस्पोडेंट कम 1, 2, 3 हिस्सा 1/2 प्रतिवादी कम 4 हिस्सा 1/2 दर्ज है। केशर बाई ने अपने जीवनकाल में दिनांक 12 मई 1993 को एक रजिस्टर्ड वसीयत गुरूदर्शन सिंह के पक्ष में निष्पादित करवा दी थी। अपीलांट व अपीलांट के माता–पिता मृतक केशरबाई के जीवनकाल से ही विवादित आराजी को काश्त करते चले आ रहे हैं तब से ही वादी उक्त विवादित भूमि का खातेदार कृषक बन गया है। प्रतिवादी रेस्पोडेंट जबरन ताकत के बल पर काश्त करने एवं वादी अपीलांट को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं। अतः वादी को उक्त विवादित भूमि खातेदार घोषित किया जाकर उक्त इंतकाल को निरस्त करते हुए प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी पर किसी भी प्रकार की मदाखलत, दखल अन्दाजी न तो स्वयं करें, न ही अपने प्रतिनिधि से करावें, वादी को शांतिपूर्वक

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

काश्त करने देवें। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद वादी आंशिक स्वीकार कर वादी को ग्राम छत्रगंज की भूमि खसरा नम्बर 125 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा में से 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया और इंतकाल नं. 892 दिनांक 04.09.2003 को निरस्त किया। तहसीलदार किशनगंज को आदेश दिया कि वादी का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज करें, जिससे अप्रसन्न होकर वादी अपीलांट ने यह अपील पेश की। अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलांट (विकलांग) है जिसके दायां पैर बाल्यकाल में लकवाग्रस्त हो गया, शरीर के लकवाग्रस्त अंगों की कार्यक्षमता का स्थायी हान्स हो जाने से अपीलांट परबस एवं पराधीन है। विकलांगता प्रमाण पत्र की फोटोप्रति सलंग्न अपील है। निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2008 अधीनस्थ न्यायालय तथ्य, साक्ष्य एवं दस्तावेजी प्रमाणों एवं विधि के सर्वमान्य सिद्धांतों प्रावधानों से असंगत, विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। जमाबंदी सम्वत 2025–2028 में अपीलांट के दादा सुमेरसिंह के खातेदारी में कुल 29 किता रकबा 104 बीघा 9 बिस्वा आराजी थी। सुमेर सिंह के फौती नामान्तरकरण संख्या 53 दिनांक 24.04.1972 से मृतक सुमेर सिंह की आराजियात सूरज सिंह, महेन्द्र सिंह पुत्रगण सुमेर सिंह व केसर बाई बेवा सुमेर सिंह के नाम खातेदारी में दर्ज हुई। विभाजन पश्चात् खसरा नं. 125 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा व खसरा नम्बर 498 रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा कुल 18 बीघा आराजियात बेवा केसरबाई के हक हिस्से में रही। खसरा नम्बर 498 की आराजियात केसर बाई द्वारा मोहनलाल, रामकरण पुत्र किशोर लाल गूर्जर को बेचान की, जो नामान्तरकरण संख्या 637 से केतागण के नाम दर्ज हुई। केसरबाई को विरासत में प्राप्त उक्त आराजियात की केसरबाई एकमात्र पूर्ण मालिक स्वामी होने से केसरबाई ने अपने विकलांग पौत्र अपीलांट के पक्ष में खसरा नम्बर 125 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा का वसीयतनामा दिनांक 12.05.1993 को पंजीयन करवाकर अपीलांट को अपना वसीयती उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। केसरबाई की मृत्यु उपरान्त खोले गये फौती नामान्तरकरण में केसरबाई की अन्य आराजियात के साथ वसीयत की गई आराजी पर भी विरासतन नामान्तरकरण संख्या 992

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दिनांक 04.09.2003 से सभी वारिसान के नाम नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया, जो अवैध एवं शून्य था। वसीयत की गई आराजी पर खातेदारी कृषक की घोषणा बाबत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.12.2008 को निरस्त कर दिया, जिसकी अपील पेश है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद का प्रतिवादी कम 4 सूरज सिंह की ओर से इकबालिया जवाब पेश हुआ एवं प्रतिवादी कम 1 ता 3 ने जवाब पेश कर अपीलांट के वाद को अस्वीकार किया। दौराने विचारण वाद में 6 तनकीयात कायम की। तनकी नं. 1 ता 3 को सिद्ध करने का भार वादी अपीलांट पर था, तनकी नं. 4 व 5 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी रेस्पोडेंट कम 1 ता 3 पर था। वाद के समर्थन में अपीलांट एवं अन्य तीन गवाहान के बयान लेखबद्ध किये। गवाह मदनलाल गूर्जर पी डब्ल्यू 3 व रामकरण गूर्जर पी डब्ल्यू 4 वसीयत के गवाह थे, जिन्होंने केसर बाई द्वारा निष्पादित वसीयत को प्रमाणित किया। प्रतिवादी कम 1 ता 3 ने अपने जवाब के पक्ष में कोई साक्ष्य पेश नहीं की फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं. 5 को वादी अपीलांट के विरूद्ध एवं रेस्पोडेंट कम 1 के पक्ष में निर्णित कर निर्णय पारित किया, जो यथावत रहने योग्य नहीं है। अपीलांट ने विवाद्यक संख्या 1 ता 3 को अपनी एवं गवाहान की साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रदर्श 1 ता 13 से पूर्णरूपेण सिद्ध किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर तनकी नं. 1 केसरबाई द्वारा वादी अपीलांट के पक्ष में करवायी गई वसीयत बाबत तनकी को वादी अपीलांट के पक्ष में निर्णित किया है एवं तनकी नं. 2, 3 का अधीनस्थ न्यायालय ने वादी की साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श 1 ता 13 को अनदेखा कर हिन्दू उत्तराधिकार के प्रावधानों से असंगत निर्णय किया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी निरस्तनीय है। अपीलांट विकलांग है जो चलने फिरने में असमर्थ है। उक्त निर्णय की अपील बाबत अपीलांट के पिता को अपीलांट ने जिम्मेदारी दी थी पिता सदैव ही कहते रहे कि जमीन तेरे ही कब्जे काश्त में तुझे जमीन से कोई भी बेदखल नहीं कर रहा है, कार्यवाही मैं कर दूंगा, तू निश्चिंत रह। अपीलांट मृतक केसर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

रेकार्डकर्ता
मेहरा
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बाई के जीवनकाल से ही विवादित आराजी पर आज तक काबिज काश्त है। पिता सूरजमल की मृत्यु दिनांक 20.11.2013 को हो गई। रेस्पोडेंट क्रम 1 ता 3 कहते फिर रहे हैं कि 1/2 हिस्सा आराजी से अपीलांट को बेदखल करेगे। इस पर अपीलांट ने उन्हें बुलाया, इस पर रेस्पोडेंट क्रम 2 व 3 ने कहा कि तुम्हारा दावा किया था जो खारिज हो गया, उसकी कोई अपील नहीं हुई और अपील बाबत हमें भी सूचना नहीं है। उक्त विवादित जमीन का 1/2 हिस्सा हमारे नाम खातेदारी में दर्ज है जिसे हम प्राप्त करके रहेगे। इस पर अपीलांट ने अपने रिश्तेदारान से मालूम करवाया कि अधीनस्थ न्यायालय के दावे की अपील हो रही है या नही तब उन्होंने मालूमात कर जानकारी दी कि दावे की कोई अपील पेश नहीं की। इस पर अपीलांट ने उक्त दावे के निर्णय व डिक्री की दिनांक 27.01.2021 को नकल प्राप्त की। नकल प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की। रेस्पोडेंटगण ने मुझ अपंग विकलांग अपीलांट की भूमि को हड़पने के लिये आपस में षडयन्त्र रचकर, मुझ अपीलांट के साथ छल, कपट एवं बेईमानीपूर्वक मिथ्या कथन कर धोखा किया है। अपीलांट इस भुलावे में था कि पिता सूरजमल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की अपील पेश कर रखी है। रेस्पोडेंटगण द्वारा छल, कपट एवं दुर्व्यपदेशन से धोखा कर अपीलांट के साथ किये गये छलावे की अवधि दिनांक 22.12.2008 से 27.01.2021 कन्डोन कर अपील अन्दर मियाद पेश है। अतः जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2008 निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में आर.बी.जे. 2002 पेज 484, आर.बी.जे. 2001 पेज 170,

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आर.बी.जे. 2011 पेज 246, आर.एल.डब्ल्यू. 2017 (7) राज. पेज 2719, आर. एल.डब्ल्यू. 2014 (1) राज. पेज 292 पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के बाबत् दिनांक 22.12.2008 को निर्णय व डिक्री पारित किया गया है और अपीलांट गुरूदर्शन सिंह पुत्र श्री सूरज सिंह द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 27.01.2021 को अपील पेश की गई जो लगभग 12 साल मियाद बाहर पेश की गई है । इस प्रकार अपीलांट गुरूदर्शन सिंह ने मियाद के सम्बन्ध में एक एक दिन के डिले को साबित नहीं किया है जबकि मियाद के बिन्दु पर एक एक दिन के डिले को साबित किया जाना चाहिए था। अपीलांट द्वारा डिले के सम्बन्ध में किसी प्रकार की साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश नहीं किये हैं और ना ही कोई पर्याप्त कारण अवगत करवाये हैं ऐसी स्थिति में यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2008 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 09.11.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/11/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

गुरूदर्शन सिंह पुत्र श्री सूरज सिंह, आयु 52 वर्ष (विकलांग) जाति सिक्ख जाट, निवासी ग्राम छतरगंज, तहसील किशनगंज, जिला बारां
.....अपीलान्ट्स

बनाम

1– नैना देवी बेवा श्री महेन्द्र सिंह, आयु 77 वर्ष, जाति सिक्ख जाट, निवासी ग्राम छतरगंज, तहसील किशनगंज, जिला बारां
2– मामचन्द उर्फ भागचंद पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, आयु 37 वर्ष, जाति सिक्ख जाट, निवासी ग्राम छतरगंज, तहसील किशनगंज, जिला बारां
3– प्रेमचन्द्र पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, आयु 35 वर्ष, जाति सिक्ख जाट, निवासी ग्राम छतरगंज, तहसील किशनगंज, जिला बारां
4– राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सूरज सिंह, आयु 64 वर्ष, जाति सिक्ख जाट, निवासी ग्राम छतरगंज, तहसील किशनगंज, जिला बारां
5– अजयपाल पुत्र श्री सूरज सिंह, आयु 60 वर्ष, जाति सिक्ख जाट, निवासी ग्राम छतरगंज, तहसील किशनगंज, जिला बारां
6– रविन्द्र कौर पुत्री श्री सूरज सिंह पत्नी श्री करम सिंह, आयु वर्ष, जाति सिक्ख जाट, निवासी बादीपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां
7– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, किशनगंज, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील नं. 47/2021
मु.द.नं0 62/2006

एवं

नाराजगी डिक्री अदालत – उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज
निर्णय व डिक्री दिनांक – 22.12.2008

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 19 माह 10 सन् 2022

हाजरी **श्री हरिओम चतुर्वेदी** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2008 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 09 माह 11 सन् 2022 को जारी किया गया ।

मोहर

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)